# कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

संख्या – 1623 /आबकारी/व्यवस्थापन/2018–19/शामली/दिनांक :मार्च 30 ,2018

**–: विज्ञप्ति :–**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्रांक–38339–413/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2018–19 दिनांकःइलाहाबादः फरवरी, 03 , 2018 के क्रम मे द्वितीय चरण की ई–लाटरी के पश्चात अवशेष वर्ष 2018–19 हेतु जनपद शामली की देशी शराब, 36 दुकानें,विदेशी मदिरा की 02 दुकानें तथा बियर की 02 दुकानों का व्यवस्थापन दैनिक आधार पर दिनाक 01 अप्रैल 2018 से 14 दिवसों तक आगणित देयताओं पर आफर प्राप्त कर किया जायेगा। देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एंव लाइसेंस फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेन्स फीस एंव लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जायेगा तथा विदेशी मदिरा, बीयर एंव माडल शाप्स हेतु दुकान की दैनिक लाइसेंस फीस उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जायेगा। दैनिक व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर 14 दिवसों हेतु आगणित बेसिक/लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय एक प्रार्थना पत्र, प्रारूप में समस्त सूचनायें भरकर आफर, देशी मदिरा हेतु दिये गये आफर में अंकित एम0जी0क्यू0 का 2.8 गुणा धनराशि एंव विदेशी मदिरा व बीयर दुकान हेतु दिये गये आफर में अंकित लाइसेंस फीस का 1/10 भाग की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, शामली के नाम देय होगा, संलग्न करेगा। आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एंव एक नवीन फोटोग्राफ भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। वर्ष 2018–19 हेतु द्वितीय चरण के पश्चात आफर से व्यवस्थित होने वाली अवशेष देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों का विवरण निम्नवत् है :–

| क्र0 सं0 | देशी शराब दुकान का नाम | वर्ष 2018–19 हेतु निर्धा0 एमजीक्यू (ब0ली0 में) | क्र0 सं0 | देशी शराब दुकान का नाम | वर्ष 2018–19 हेतु निर्धा0 एमजीक्यू (ब0ली0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शामली नं01(फव्वारा चौक) | 124740 | 20 | झिंझाना नं0–1 (निकट ऊन बस अड्डा) | 23340 |
| 2 | शामली नं02 (भैसवाल रोड) | 91704 | 21 | तितरवाड़ा | 14844 |
| 3 | शामली नं03(निकट धीमानपुरा रेलवे फाटक) | 146892 | 22 | गंगेरू | 23508 |
| 4 | नई मण्डी शामली | 102612 | 23 | भूरा | 6600 |
| 5 | जलालाबाद | 92820 | 24 | खन्दरावली | 6600 |
| 6 | बनत | 64560 | 25 | पंन्थूपुरा | 13032 |
| 7 | थानाभवन नं0–1 | 178368 | 26 | शामली–शामला | 13872 |
| 8 | करमूखेड़ी | 60108 | 27 | पिंडौरा | 9432 |
| 9 | गढ़ी अब्दुल्ला | 35580 | 28 | खानपुर जाटान | 6600 |
| 12 | मालेण्डी | 31656 | 29 | इस्सोपुरटील | 7536 |
| 13 | ज्ञानीपुर | 10212 | 30 | मवी | 7128 |
| 14 | पुरमाफी | 6600 | 31 | बलहेडा | 7524 |
| 15 | गोगमा | 6600 | 32 | डुन्डुखेडा | 7524 |
| 16 | मतनावली | 6600 | 33 | खोडसमा | 7536 |
| 17 | मुंडेट | 8424 | 34 | भारसी | 9576 |
| 18 | अम्बेहटा | 9576 | 35 | आल्दी | 8004 |
| 19 | अहमदगढ़ | 7128 | 36 | चढाव | 8004 |
| **क्र0 सं0** | **विदेशी मदिरा दुकान का नाम** | **वर्ष 2018–19 हेतु निर्धा0 लाइसेन्स फीस (रू0 में)** | **क्र0 सं0** | **बीयर दुकान का नाम** | **वर्ष 2018–19 हेतु निर्धा0 लाइसेन्स फीस (रू0 में)** |
| 1 | अम्बेहटा | 395000 | 1 | बन्तीखेडा (नवसृजित) | 55000 |
| 2 | गंगेरू | 530000 | 2 | करमूखेडी | 1195000 |

आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, शामली से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

नोटः–कोई भी लिपकीय त्रुटि संशोधनीय होगी।

(राकेश बहादुर सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
शामली।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
शामली।

संख्या –1624–26 /आबकारी/व्यवस्थापन/2018–19/शामली/तददिनांक।

सम्पादक,

1– दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं दैनिक शाह टाइम्स शामली।

कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र के अंक दिनांक 31–03–2018 में कम से कम साईज में प्रकाशित कराकर राजकीय दर से बिल बनाकर अधोहताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Kanwal 30.3.18   30/3/18   30-3-18

(राकेश बहादुर सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
शामली।